555/08

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 134670

SUB TRY
ISSUED FROM S.T.

S.T.O.

R. P. Yadav
Advocate

Civil Court Compound
Lucknow

Civil Court Compound
Lucknow

दान विलेख

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - महोना
3. ग्राम - चकगंजारिया (अन्य विशिष्ट ग्राम जहां 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय नहीं है।)
4. सम्पत्ति का विवरण (भूमि संख्या)- गाटा संख्या 135 रकबा 0.264 हे० का 1/2 भाग रकबा 0.132 हे०
5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्गमीटर) - हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.132 हे०

Sandeep Kumar Manish Kumar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 0 134869

7.	सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)	:-	सीतापुर मार्ग से लगभग 2 किमी. दूर है।
8.	अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि)	:-	नहीं है।
9.	सम्पत्ति का प्रकार	:-	कृषि
10.	सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में)	:-	नहीं है।
11.	कुल आच्छादित क्षेत्रफल	:-	नहीं है।
12.	स्थिति-फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य	:-	नहीं है।
13.	पेड़ों का मूल्यांकन	:-	नहीं है।
14.	बोरिंग/कुंआ/अन्य	:-	नहीं है।
15.	निर्मित क्षेत्रफल	:-	नहीं है।
16.	निर्माण का वर्ष	:-	निर्माण नहीं है।
17.	सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है	:-	हां।
18.	जाति:-दानकर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य हैं।		
19.	सम्पत्ति की मालियत	:-	1,64,000/-रुपया
20.	देय स्टाम्प शुल्क	:-	13,500/-रुपया

Sandeep Kumar Manish Kumar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 569175

S.T.O.

चौहद्दी

पूरब-चकमार्ग पश्चिम-खेत संदीप

उत्तर- विक्रीत भूमि का शेष भाग दक्षिण- खेत धूरू

प्रथम पक्ष की संख्या- (1) दानकर्ता का विवरण	द्वितीय पक्ष की संख्या-(1) दानगृहीता का विवरण
संदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री कुबेर लाल निवासी शाहपुर अटिया जिला हरदोई हाल निवासी 13-न्यू ब्रह्म नगर, डालीगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ।	व्हाइट हाल पब्लिक स्कूल समिति, 13 न्यू ब्रम्ह नगर, डालीगंज क्रासिंग, लखनऊ निबंधन संख्या 526/2002-2003 द्वारा अध्यक्ष श्री मनीष कुमार पुत्र गोबर्धन लाल निवासी एच.आई.जी.-41, सेक्टर ई, अलीगंज, लखनऊ।
व्यवसाय-व्यापार	व्यवसाय- व्यापार

Sandeep Kumar Manish Kumar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 569174

S.T.O.

मनकि संदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री कुबेर लाल निवासी शाहपुर अटिया जिला हरदोई हाल निवासी 13-न्यू ब्रह्म नगर, डालीगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ प्रथम पक्ष जिन्हें आगे दानकर्ता कहा गया है।

एवं

व्हाइट हाल पब्लिक स्कूल समिति, 13 न्यू ब्रम्ह नगर, डालीगंज क्रासिंग, लखनऊ निबंधन संख्या 526/2002-2003 द्वारा अध्यक्ष श्री मनीष कुमार पुत्र गोबर्धन लाल निवासी एच.आई.जी.-41, सेक्टर ई, अलीगंज, लखनऊ, द्वितीय पक्ष जिसे आगे दानगृहीता कहा गया है।

जो कि कृषि आराजी गाटा संख्या 135 रकबा 0.264 है0 का 1/2 भाग रकबा 0.132 है0 स्थित ग्राम चकगंजा गिरि, परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जिला लखनऊ के प्रथम पक्ष मालिक, कामिल, काबिज व दखील है जिसे प्रथम पक्ष ने

Sandeep Kumar Manish Kumar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 569173

SUB TRY
ISSUED FROM S.K.T.
S.T.O.

जरिये बैनामा क्रय किया था जिसका दाखिल खारिज हो चुका है, जो प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि हर प्रकार के भार, मिस्ल, रेहन, बय, हिबा, जमानत व कर्ज से मुक्त बरी, पाक व साफ है जिसे विक्रय करने, दान आदि करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दानकर्ता/प्रथम पक्ष अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि को द्वितीय पक्ष/दानगृहीता को स्वेच्छा से दान स्वरूप देना चाहते है तथा द्वितीय पक्ष/दानगृहीता उक्त भूमि को दान स्वरूप लेने को तैयार है। अतएव दानकर्ता/प्रथम पक्ष ने खूब सोच समझकर प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी जोर दबाव के पूर्ण होशो हवास में आराजी उपरोक्त को दान स्वरूप व्हाइट हाल पब्लिक स्कूल समिति, 13 न्यू ब्रम्ह नगर, डालीगंज क्रासिंग, लखनऊ निबंधन संख्या 526/2002-2003 द्वारा अध्यक्ष श्री मनीष कुमार पुत्र गोबर्धन लाल निवासी एच.आई.जी.-41, सेक्टर ई, अलीगंज, लखनऊ (द्वितीय पक्ष/दानगृहीता) को

Sandeep Kumar Manish Kumar

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 807245

JAN 2016

दान स्वरूप दे दिया तथा कब्जा व दखल मालिकाना आराजी उपरोक्त दानशुदा पर आज से बजाय अपने द्वितीय पक्ष/दानगृहीता को बखूबी करा दिया तथा द्वितीय पक्ष/दानगृहीता ने उक्त दानशुदा भूमि को दानस्वरूप स्वीकार कर लिया है और कब्जा दानकर्ता/प्रथम पक्ष से प्राप्त कर लिया है। अब दानकर्ता/प्रथम पक्ष या उनके अन्य वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा दानशुदा आराजी मे शेष नहीं रहा। अब अगर कोई दीगर शख्स अपना हक या दावा करे तो दावा उसका बातिल व नाजायज करार दिया जावे। अब द्वितीय पक्ष/दानगृहीता जैसे चाहे अपने उपयोग एवं उपभोग में लावे तथा चाहे विक्रय या बंधक आदि करे। इसमें दानकर्ता/प्रथम पक्ष को किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार नहीं होगा। दानशुदा आराजी को द्वितीय पक्ष/दानगृहीता समस्त सरकारी कागजात में अपने नाम दर्ज करवा लेवे कोई उज्र नही होगा। दानशुदा आराजी में कोई पेड़, कुंआ, बोरिंग, निर्माण आदि नहीं है तथा

Sandeep Kumar Manish Kumar

दानशुदा आराजी किसी राष्ट्रीय राजमार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग के किनारे स्थित नहीं है। दानशुदा आराजी कृषि आराजी है जिसका सर्किल रेट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा निर्धारित मु0 **9,50,000**/-रुपया प्रति हे0 है। चूंकि द्वितीय पक्ष/दानगृहीता एक स्कूल समिति है इसलिये 30 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि यानी **12,35,000/-रूपया प्रति हे0** के हिसाब से दानशुदा जायदाद की कुल मालियत मु0 **1,64,000**/-रुपया होती है। इसी पर 80/-रुपया प्रति हजार की दर से मु0 **13,500**/-रुपया का जनरल स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अदा किया गया है। दानकर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसने उपरोक्त दानशुदा जायदाद की दान अनुमति जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक संख्या 792/डी.एल.आर.सी. दिनांक 08 जनवरी 2008 द्वारा दानगृहीता के पक्ष में प्राप्त कर ली है। दानशुदा जायदाद की वार्षिक मालगुजारी परता खाता है। दानशुदा जायदाद आवंटन की नहीं है। दानशुदा भूमि नगर निगम सीमा से बाहर है तथा सरकार द्वारा किसी भी योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत नहीं है।

लिहाजा यह दान विलेख हम उभय पक्षों ने अपनी राजी खुशी व दुरूस्त होशो हवाश में प्रसन्नता पूर्वक खूब सोच समझकर गवाहान तहरीर करवाकर टाईप करवा दिया तथा गवाही के सामने अपने-अपने हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा इस दान विलेख पर बना दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक :30-01-2008

दानकर्ता
Sandeep Kumar

गवाह नं0 1- (Anoop Kumar)
पता- S/o late om Parkash
A/63 Sheetla Puram
LKO

गवाह नं0 2- [signature]
पता- पुत्र श्री [illegible]
नि. H1(7-41 [illegible]
[illegible], लखनऊ

दानगृहीता
Manish Kumar

टाईपकर्ता
[signature]
(विजय शंकर राय)
तहसील बख्शी का तालाब, लखनऊ

मसविदाकर्ता
[signature]
(आर.पी. यादव)
एडवोकेट

नजरी नक्शा 200 मी0 त्रिज्या में

ग्राम .... परगना महोना ....

तहसील- बख्शी का तालाब

जिला- लखनऊ।

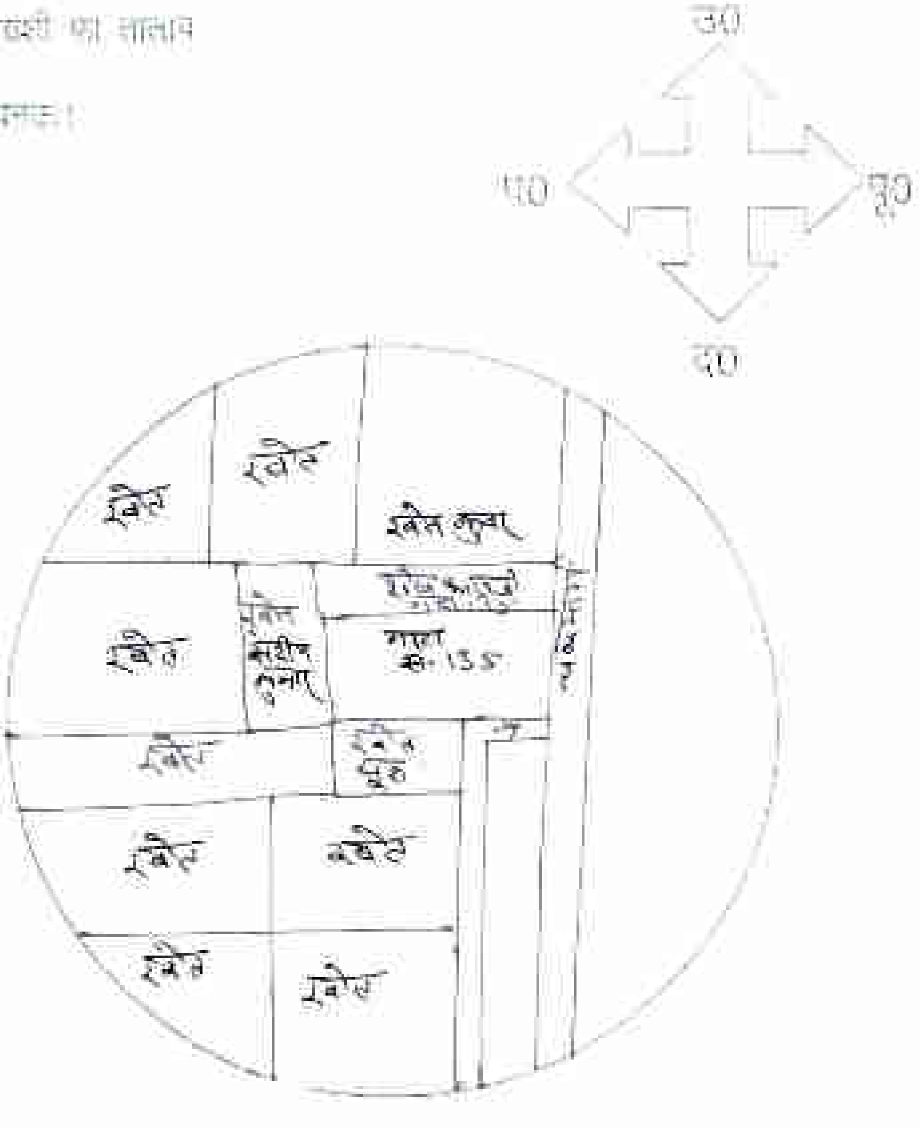

ह0 विक्रेता Sandeep Kumar .... ह0 क्रेता ....

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा – 32 ए० के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता :- संदीप कुमार पुत्र स्व० नौबेर लाल निवासी ... औरेया जिला हरदोई हाल निवासी 13 न्यू इन्द्रनगर डालीगंज सीतापुर रोड लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

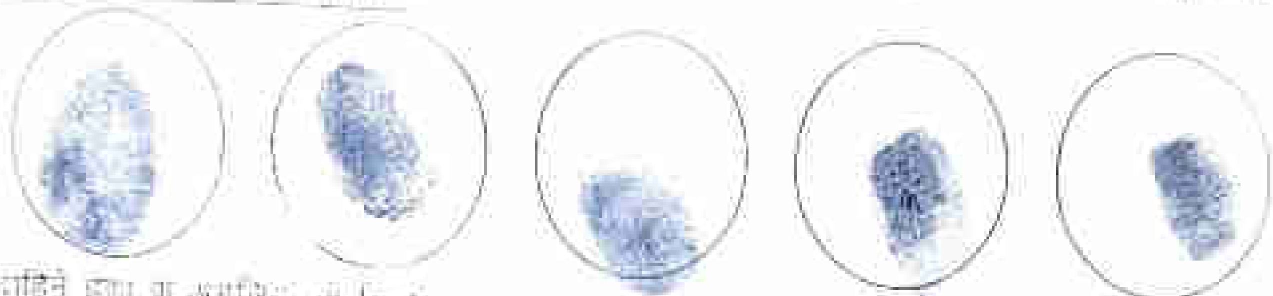

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

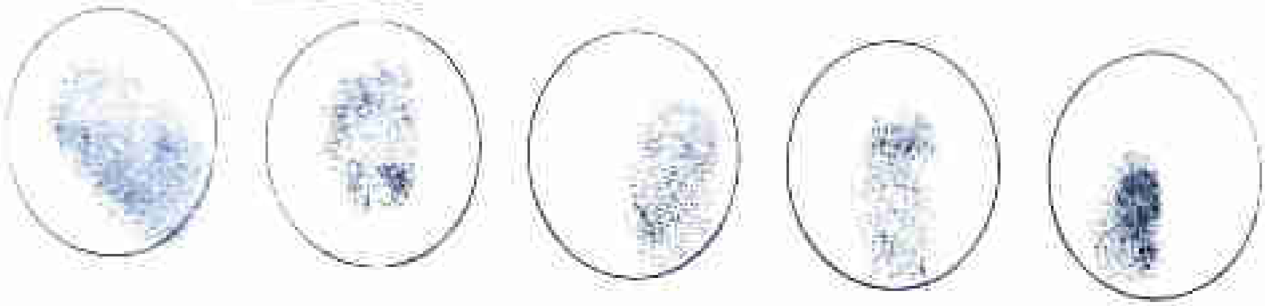

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

Sandeep Kumar

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता :- टवाइट हाल पब्लिक स्कूल सोसाइटी 13 न्यू इन्द्रनगर डालीगंज क्रासिंग लखनऊ द्वारा अध्यक्ष मनीष कुमार पुत्र गोवर्धन लाल, HIG-41 सै० ई अलीगंज, लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

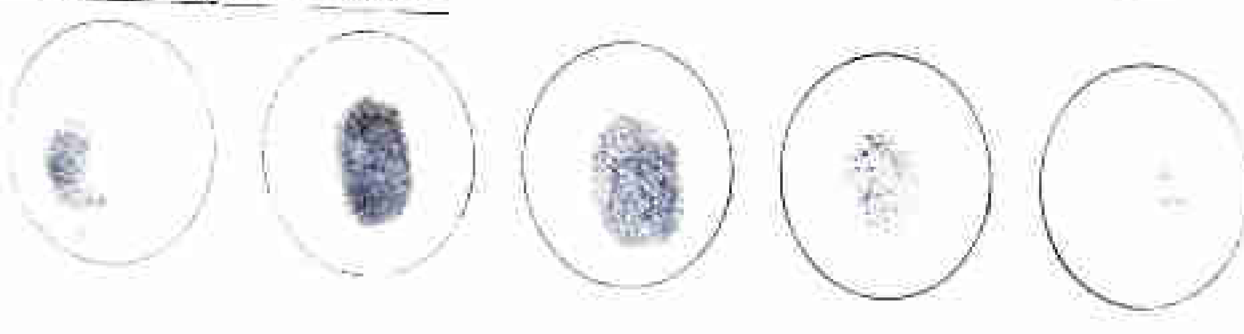

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

Manish Kumar

30/1/05
I 1945
137/154 555

I- 1545/22

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP41450128454302U
Certificate Issued Date	:	13-Jul-2022 05:17 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14326904/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14326904741469263185740
Purchased by	:	WHITE HAL PUBLIC SCHOOL SAMITI TRUST
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	LAND KHASRA NO.116,AND KHASRA NO.133,CHAKGANJAGIRI,PAR-MAHONA,TEH-B.K.T. LUCKNOW.
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SANDEEP KUMAR
Second Party	:	WHITE HAL PUBLIC SCHOOL SAMITI TRUST
Stamp Duty Paid By	:	WHITE HAL PUBLIC SCHOOL SAMITI TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,000 (Three Thousand only)

सत्यमेव जयते

Verified

STAMP PAPER USED

Registration Assistant
Bakhshi Ka Talab
Lucknow

SUB REGISTRAR
Bakhshi Ka Talab
Lucknow

Sandeep Kumar

Sandeep Kumar

JD 0000833458

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

स्टाम्प शुल्क - रु0 3,000/-

परगना - महोना

पट्टा विलेख वास्ते मियाद 30 वर्ष

सन्दीप कुमार पुत्र स्व0 कुबेर लाल, निवासी-13, न्यू ब्रहमनगर, डालीगंज क्रासिंग, जिला-लखनऊ हाल निवासी-48, ग्राम व पोस्ट-शाहपुर, अटिया, संडीला, हरदोई (उ0प्र0)।

...... प्रथम पक्ष/पट्टादाता

एवम्

ह्वाइट हाल पब्लिक स्कूल समिति ट्रस्ट पता-13, न्यू ब्रहमगर, डालीगंज, लखनऊ द्वारा प्रबन्धक/सचिव सन्दीप कुमार पुत्र स्व0 कुबेर लाल, निवासी-13, न्यू ब्रहमनगर, डालीगंज क्रासिंग, जिला-लखनऊ हाल निवासी-48, ग्राम व पोस्ट-शाहपुर, अटिया, संडीला, हरदोई (उ0प्र0)।

.... द्वितीय पक्ष/पट्टागृहीता

यह कि प्रथम पक्ष ने भूमि खसरा संख्या 116 रकबा 0.013हे0 व खसरा संख्या 133 रकबा 0.265हे0, कुल दो किता कुल रकबा 0.278हे0, स्थित-ग्राम-चकगंजागिरि, परगना-महोना, तहसील-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख अम्बर पुत्र नन्हे से क्रय किया था, जो बही सं0 1, जिल्द 1261, पृष्ठ सं0 287/300 पर क्रमांक 1031 पर दिनांक 03/03/2006 को उपनिबन्धक बक्शी का तालाब, लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत है व प्रथम पक्ष ने भूमि खसरा संख्या 135 रकबा 0.264हे0, स्थित-ग्राम-चकगंजागिरि, परगना-महोना, तहसील-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख राम नारायन पुत्र बाबूलाल से क्रय किया था, जो बही सं0 1, जिल्द 1290, पृष्ठ सं0 231/244 पर क्रमांक 1658 पर दिनांक 05/04/2006 को उपनिबन्धक बक्शी का तालाब, लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत है एवं प्रथम पक्ष ने भूमि खसरा संख्या 134 रकबा 0.265हे0, स्थित-ग्राम-चकगंजागिरि, परगना-महोना, तहसील-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख श्रीमती मैका पत्नी अम्बर से क्रय किया था, जो बही सं0 1, जिल्द 1261, पृष्ठ सं0 301/314 पर क्रमांक 1032 पर दिनांक 03/03/2006 को उपनिबन्धक बक्शी का तालाब, लखनऊ के

Sandeep Kumar   Sandeep Kumar

कार्यालय में पंजीकृत है। इस प्रकार प्रथम पक्ष कुल रकबा 0.807हे0 यानि 8070 वर्गमीटर भूमि का मालिक, काबिज व काबिज है। उक्त भूमि आज तक प्रथम पक्ष के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है जिसे विक्रय, बंधक, दान आदि निष्पादित करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण मालिकाना हक प्राप्त है। उक्त सम्पत्ति को पट्टे पर लेने की द्वितीय पक्ष ने इच्छा प्रकट की, जिसे प्रथम पक्ष ने सहर्ष स्वीकार किया।

अतः हम उभय पक्षों में यह पट्टेदारी अनुबन्ध विलेख निम्नलिखित शर्तों के आधार पर निष्पादित किया गया :-

1. यह कि उक्त पट्टेदारी भाग को द्वितीय पक्ष द्वारा स्कूल संचालन हेतु उपयोग किया जायेगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की उक्त सम्पत्ति को रूपये 1,000/- प्रतिमाह के लीज रेण्ट की दर से 30 वर्ष की अवधि के लिये लीज रेण्ट पर ले रहा है। पट्टेदारी अवधि का प्रारम्भ दिनांक 14/07/2022 से प्रारम्भ होकर 13/07/2052 (30 वर्ष) की अवधि तक के लिये है।
3. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त निर्धारित लीज रेण्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह को नियमित रूप से प्रथम पक्ष को अदा करेगा।
4. यह कि लीज रेण्ट का भुगतान नकद अथवा चेक द्वारा प्रथम पक्ष की सुविधानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा अदा किया जायेगा।
5. यह कि उक्त पट्टेदारी वाले भाग को पूर्णतः सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित अवस्था में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है जिसकी रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी और लीज रेण्ट समापन के समय उसी प्रकार उसी अवस्था में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को कब्जा वापस करेगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त पट्टेदारी वाले भाग में स्थाई निर्माण कार्य व व्यापारिक दृष्टिकोण से आन्तरिक साज सज्जा एवं रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य कराया जायेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष अपने उक्त पट्टेदारी वाले भाग से सम्बन्धित समस्त विधिक औपचारिकतायें पूर्ण करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा उक्त कृत के समस्त परिणामों का भी जिम्मेदार द्वितीय पक्ष ही होगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित उक्त पट्टेदारी वाले भाग में हर प्रकार की तोड़ फोड़ या परिवर्तन या परिवर्द्धन आदि करा सकता है।

Sandeep Kumar Sandeep Kumar

9. यह कि द्वितीय पक्ष को उक्त पट्टेदारी परिसर को कहीं भी गिरवी रखने, जमानत लेने, किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से ऋण लेने अथवा इसे हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

10. यह कि उक्त पट्टेदारी अवधि में वृद्धि उभय पक्षों की आपसी सहमति से नया अनुबन्ध तैयार करके की जा सकती है जो लीज रेण्ट में वृद्धि के साथ होगी। यदि अनुबन्ध में वर्णित अवधि से उभय पक्ष अथवा किसी भी एक पक्ष द्वारा उक्त पट्टेदारी अथवा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो समापन के 30 दिन अर्थात एक माह पूर्व इसकी लिखित सूचना दूसरे पक्ष को देना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात ही उक्त पट्टेदारी अथवा अनुबन्ध समापन कार्यवाही की जायेगी।

11. यह कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सर्वप्रथम आपसी सहमति एवं निकट सम्बन्धियों के माध्यम से अथवा पंचायत के माध्यम से विवाद का निपटारा करेंगे असफलता की स्थिति में न्यायालय के माध्यम से उक्त वाद का निपटारा करेंगे, जिसका क्षेत्राधिकार लखनऊ न्यायालय को होगा।

12. यह कि इस पट्टेदारी अनुबन्ध की समस्त शर्तों से उपरोक्त दोनों पक्ष व उनके वारिसान भी पाबन्द व बाध्य होंगें।

13. यह कि यह पट्टेदारी अनुबन्ध 30 वर्ष की अवधि के लिये किया जा रहा है जिसका लीज रेण्ट रूपये 1,000/- मासिक अर्थात 12,000/- वार्षिक है इसलिए 6 वर्ष के लीज रेण्ट रूपये 72,000/- मात्र पर संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग 5 की अधिसूचना संख्या क०नि०-5-2756/11/2008-500 (165) 2007 दिनांक 30/6/2008 के अनुसार नियमानुसार 4 प्रतिशत के हिसाब से रूपये 3,000/- का ई-स्टाम्प शुल्क (No. IN-UP41450128454302U) अदा किया गया है।

चौहद्दी खसरा संख्या 116 व 133:-

पूरब	-	खेत राम नरायन
पश्चिम	-	खेत खरगी
उत्तर	-	खेत राम कुमार
दक्षिण	-	खेत भूरू व महाबली

Sandeep Kumar   Sandeep Kumar

चौहद्दी खसरा संख्या 135:-

पूरब	-	चकमार्ग
पश्चिम	-	भूमि प्रथम पक्ष
उत्तर	-	खेत कुंवर
दक्षिण	-	खेत पुरू आदि

चौहद्दी खसरा संख्या 134:-

पूरब	-	खेत राम नरायन
पश्चिम	-	खेत खरगी
उत्तर	-	खेत राम कुमार
दक्षिण	-	खेत पुरू व महाबली

अतः यह पट्टेदारी अनुबन्ध विलेख निम्न गवाहान के समक्ष उपरोक्त दोनों पक्षों ने खूब सोच व समझकर प्रसन्न चित्त मन से, बिना किसी जोर दबाव नाजायज के अपने पूर्ण होशो हवास में अपने-अपने हस्ताक्षर बनाकर निष्पादित कर दिया ताकि प्रमाण रहे और आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में काम आवे।

Sandeep Kumar

लखनऊ। दिनांक : 14.07.2022ई0

गवाहान:-

1. अनूप कुमार
पुत्र स्व0 ओम प्रकाश
पता-ए-63, शीतलापुरम कालोनी, उत्सव मैरिज हॉल के पास, राजाजीपुरम, लखनऊ

2. अबू हुसनान
पुत्र अब्दुल समद
पता-सी-3002, राजाजीपुरम, मिनी स्टेडियम, लखनऊ

ह0 प्रथम पक्ष/पट्टादाता

Sandeep Kumar

ह0 द्वितीय पक्ष/पट्टागृहीता

टाईपकर्ता :-
(मोनिस फरीद)

मसविदाकर्ता :-
(धनन्जय दीक्षित)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ
मो0नं0-8115008018

आवेदन सं०: 202200820018974

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 14556 के पृष्ठ 123 से 132 तक क्रमांक 15454 पर दिनाँक 14/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शिव शंकर लाल प्रभारी
उप निबंधक : बक्शी का तालाब
लखनऊ
14/07/2022